Hindi

अस्थायी विदेशी कामगार
कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक

Alberta

Freedom To Create. Spirit To Achieve.

विाय–सूची

- **प्रस्तावना** **1**
- **अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम** **1**
- **एलबर्टा में कर्मचारियों को क्या मालूम होना चाहिए** **4**
  - रोज़गार मानक 4
  - कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 7
  - रोज़गार एजेंसी का उपयोग 10
  - मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए जानकारी 10
  - कामगारों को क्षतिपूर्ति 11
  - व्यक्तिगत जानकारी 12
- **अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए एलबर्टा में सहायता** **13**
  - अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय और हैल्पलाइन 13
  - एलबर्टा आप्रवास जानकारी सेवा 15
  - आप्रवासी–सेवा एजेंसिया 16
- **एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम** **17**
- **संसाधन** **19**

प्रस्तावना

एलबर्टा में एक अस्थायी विदेशी कामगार के तौर पर, आपके वही अधिकार और दायित्व होते हैं जो कार्यस्थल के किसी भी दूसरे कर्मचारी के। आपको एलबर्टा के रोज़गार मानकों, कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा कामगारों को क्षतिपूर्ति संबंधी क़ानूनों का संरक्षण हासिल होता है।

इस पुस्तिका से आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि आपको किन–किन बातों की उम्मीद करनी चाहिए और अतिरिक्त संसाधन कहां ढूंढे जा सकते हैं।

अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम

संघ सरकार के अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम के तहत, उपयुक्त विदेशी कामगारों को कैनेडा में एक अधिकृत समयावधि तक रहने की अनुमति है।

अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम का प्रबंधन करने एवं इसके तहत सेवाएं देने के लिए तीन विभाग मिलकर काम करते हैं – सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा (सी आई सी), सर्विस कैनेडा तथा कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज़ एजेंसी (सी बी एस ए)।

सर्विस कैनेडा

श्रम बाजार राय (लेबर मार्केट ओपिनियन. एल एम ओ) के लिए नियोजकों के आवेदनों पर कार्यवाही सर्विस कैनेडा करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी ज़रूरी र्तें पूरी की जाएं। एल एम ओ सर्विस कैनेडा द्वारा नियोजकों को दी जाने वाली वह राय है जिसमें यह निर्धारण किया जाता है कि जिस विदेशी कामगार या जिन विदेशी कामगारों की सेवाएं लिए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है, उन्हें लेने से कैनेडा के श्रम बाजार पर क्या असर हो सकता है। हर प्रांत में सर्विस कैनेडा के केंद्र, विदेशी कामगारों के लिए मिले अनुरोधों (एल एम ओ आवेदनों) पर कार्यवाही करते हैं।

सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा

कैनेडा से बाहर कैनेडा के दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों में स्थित सी आई सी और इसके वीज़ा कार्यालय, कार्य पर्मिटों के आवेदनों पर कार्यवाही करके यह तय करते हैं कि कैनेडा में काम करने के लिए कौन उपयुक्त है और कौन नहीं। अधिकांश मामलों में, उन बहुत से लोगों के लिए जो कैनेडा में काम करना चाहते हैं, सी आई सी पहला संपर्क केंद्र होता है, किंतु कुछ विशेा परिस्थितियों में वे लोग कार्य पर्मिट के लिए कैनेडा के किसी प्रवेश स्थल (पोर्ट ऑफ ऐन्ट्री) पर आवेदन कर सकते हैं।

कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज़ एजेंसी

बॉर्डर सर्विसेज़ के अधिकारी कैनेडा की सीमाओं पर आने जाने की जगहों तथा हवाई अड्डों पर कार्य पर्मिट जारी करने और कैनेडा में प्रवेश की अनुमति देने से पहले, विशेा कामगारों की प्रारंभिक छानबीन (स्क्रीनिंग) करते हैं। कैनेडा में प्रवेश के बारे में बॉर्डर सर्विसेज़ के अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। यदि अधिकारियों को लगता है कि विदेशी कामगार इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो वे प्रवेश से इन्कार कर सकते हैं।

रोज़गार बीमा के तहत, बेरोज़गारी की अवधि में अस्थायी आय सहायता प्रदान की जाती है। अस्थायी विदेशी कामगारों को वही योग्यता ार्तें पूरी करना अनिवार्य होगा, जो कैनेडा के नागरिकों तथा स्थाई निवासियों के लिए लागू हैं।

सामान्य जानकारी

कार्य पर्मिट की ार्तें

आपके लिए कार्य पर्मिट की सभी ार्तों को पूरा करना अनिवार्य है। कार्य पर्मिट में यह विवरण होता है कि आपका नियोजक कौन है, आप कहां कार्य करते हैं और आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें यह भी उल्लेख होता है कि आपका कार्य पर्मिट कब तक के लिए वैध है।

कार्य पर्मिट की ार्तों में परिवर्तन करना

एक अस्थायी विदेशी कामगार के तौर पर, आप अपनी कैनेडा में रहने की अवधि को बढ़ाने, रहने की ार्तोंया अस्थायी दर्जे के प्रकार में बदलाव करने, अथवा अपने दर्जे संबंधित समस्याओं को सही करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान कागजातों की अवधि समाप्त हो जाने से पहले ही नवीकरण के लिए आवेदन कर दें। आवेदन पत्र **www.cic.gc.ca** से, अथवा **1-888-242-2100** पर फोन करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

सेवा समाप्त करना

यदि आप कार्य अनुबंध के अनुसार नियोजक की आशाओं को पूरा नहीं करते, तो आपके नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह आपको नौकरी से निकाल दे। बाहरी परिस्थितियों के कारण भी आपके पद की आवश्यकता खत्म हो सकती है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव होना। दोनों ही स्थितियों में, यह अनिवार्य है कि आपको सेवा समाप्त करने का नोटिस दिया जाए, या फिर नोटिस के बदले वेतन दिया जाए।

रोज़गार बीमा

रोज़गार बीमा के तहत, बेरोज़गारी की अवधि में अस्थायी आय सहायता प्रदान की जाती है। अस्थायी विदेशी कामगारों को वही योग्यता ार्तें पूरी करना अनिवार्य होगा, जो कैनेडा के नागरिकों तथा स्थाई निवासियों के लिए लागू हैं।

रोज़गार बीमा कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **www.servicecanada.gc.ca** पर जाएं, अथवा निःशुल्क नंबर **1-800-206-7218** पर फोन करें।

नया रोज़गार ढूंढ़ना

आप किसी भी समय नया नियोजक ढूंढ़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन, आपके नए नियोजक को एक एल एम ओ प्राप्त करना होगा और आपको एक नए कार्य पर्मिट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें आपके नियोजक, काम की जगह और/अथवा काम में परिवर्तनों का विवरण दिया हो।

किसी अस्थायी विदेशी कामगार को घर भेजना

आपको अपने कार्य पर्मिट की पूरी अवधि तक कैनेडा में रहने का हक है। यदि कार्य पर्मिट की अवधि पूरी होने से पहले ही आपका कार्य अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, अथवा आप दूसरे नियोजक के पास नौकरी ढूंढ़ने का फैसला करते हैं, तो कोई नियोजक या रोज़गार एजेंसी आपको ज़बरदस्ती घर नहीं भेज सकते।

उल्लंघनों की रिपोर्ट करना

यदि कोई नियोजक आपको किसी उल्लंघन की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए भयभीत करता है या वापस आपके देश भेजने की धमकी देता है, तो यह क़ानून के खिलाफ होगा। इस तरह का प्रयास करने वाला कोई नियोजक अथवा रोज़गार एजेंसी, क्रिमिनल कोड (अपराध संहिता) के तहत दंडनीय होंगे। इस प्रकार के किसी दुराचार की रिपोर्ट करने के लिए, टेम्परेरी फौरेन वर्कर हैल्पलाइन (अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन) **1-877-944-9955** पर फोन करें।

प्रतिनिधि का उपयोग

यदि आप कार्य पर्मिट में सहायता के लिए अपने किसी प्रतिनिधि का उपयोग करते हैं, तब भी उसमें दी गई जानकारी की सटीकता के लिए आप ज़िम्मेदार होंगे। प्रतिनिधियों के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी **www.cic.gc.ca** से अथवा **1-888-242-2100** पर फोन करके प्राप्त की जा सकती है।

सर्विस कैनेडा
www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/index.shtml

सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा (सी आई सी)
www.cic.gc.ca | 1-888-242-2100

एलबर्टा में कर्मचारियों को क्या मालूम होना चाहिए

रोज़गार मानक

रोज़गार मानक, कार्यस्थल पर नियोजकों व कर्मचारियों के लिए रोज़गार के न्यूनतम मानक हैं।

आपके नियोजक ने आपको नौकरी देने के लिए आपके साथ व सरकार के साथ एक अनुबन्ध किया है। इस अनुबन्ध में आपको बहुत सी जानकारी दी होती है, जिसमें यह भी ाामिल है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। नियोजक के लिए अनुबन्ध की सभी ार्तों को पूरा करना आवश्यक होता है।

यदि अनुबन्ध के अनुसार आपके नियोजक के लिए आपको विमान किराया, स्वास्थ्य देखभाल, व आावास प्रदान करना आवश्यक हो, तो वह कटौती के रूप में उस पैसे को वापस नहीं ले सकता। आपका नियोजक उसके द्वारा

प्रयुक्त रोज़गार एजेन्सी से संबंधित खर्चे आपसे नहीं ले सकता। आपका नियोजक इन्हें आपके वेतन से नहीं काट सकता, भले ही आप इसके लिए लिखित अनुमति दे दें।

मुझे कब और कैसे पैसे मिलेंगे?

नियोजक के लिए अनिवार्य है कि वह नियमित भुगतान समय रखे, जैसे प्रत्येक सप्ताह, दो सप्ताह या माह में एक बार। आपको प्रत्येक भुगतान अवधि की समाप्ति के दस दिन के अन्दर भुगतान मिल जाना चाहिए। भुगतान चेक, मनीआर्डर या आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके दिया जा सकता है।

आपकी आय से कटौतियां

एम्पलॉयमेंट स्टैंडर्ड कोड आपकी आय में से कुछ कटौतियां करने की अनुमति देता है। इनके अर्न्तगत आयकर, कैनेडा पेंशन प्लान और रोज़गार बीमा के लिए कटौतियां आती हैं। यदि कोई नियोजक दूसरी कटौतियां करना चाहता हो, तो उसे पहले आपकी लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कुछ कटौतियां ऐसी हैं, जिनके लिए आपकी लिखित अनुमति के बावजूद भी अनुमति नहीं है। नियोजक दोायुक्त काम के लिए कटौती नहीं कर सकते। इसके अलावा, यदि एक से अधिक व्यक्तियों की नकदी या सम्पत्ति तक पहुंच होती है, तो नकदी की कमी या सम्पत्ति के नुकसान के लिए भी वे कटौती नहीं कर सकते।

आपका नियोजक काम के समय पहने जाने वाले कपड़ों की खरीद, सफाई, व संभाल के लिए लागत से अधिक पैसे नहीं ले सकता। आपके रहने के लिए स्थान प्रदान करने के लिए आपका नियोजक आपसे जिस दर से पैसे लेगा, उसकी भी एक सीमा होती है। वर्तमान बोर्डिंग व लॉजिंग दरें जानने के लिए **www.employment.alberta.ca/es** पर जाएं।

काम के घंटे

- आपका कार्यदिवस 12 घंटे से लंबा नहीं हो सकता।
- जो भी पाली (शिफ्ट) पांच घंटे से लंबी होगी, उसमें आपको कम से कम 30 मिनट का आराम अवश्य दिया जाएगा।
- हर काम किए गए सप्ताह के लिए आपको कम से कम एक दिन का अवकाश दिया जाएगा।

ओवरटाइम और ओवरटाइम वेतन

अधिकांश उद्योगों में, ओवरटाइम का अर्थ है एक दिन में आठ घंटे से ऊपर या सप्ताह में 44 घंटे से ऊपर काम किया जाने वाला कोई भी समय। यदि आपको साप्ताहिक, मासिक, अथवा वार्िक वेतन दिया जाता है, तो भी आपको किए गए ओवरटाइम के लिए ओवरटाइम लाभ दिए जाएंगे।

ओवरटाइम के लिए या तो आपके नियमित वेतन की दर के 1.5 गुना के हिसाब से भुगतान किया जाता है, अथवा फिर आप और आपका नियोजक इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि आपको उसके बदले किसी

कार्यदिवस पर छुट्टी दी जाए (उदाहरण के लिए, काम से एक दिन की छुट्टी)।

रोज़गार मानक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारियो को उचित रूप से भुगतान किया जा रहा है, कई कार्य–स्थलों पर पेरोल निरीक्षण करता है, जिनमें अस्थायी विदेशी कामगारों वाले कार्यस्थल भी ाामिल हैं।

सार्वजनिक छुट्टियां

एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड कोड में, एलबर्टा में नौ दिनों को सार्वजनिक छुट्टियों में रखा गया है। तारीखों और पात्रता अपेक्षाओं की पूरी सूची के लिए **www.employment.alberta.ca/es** पर जाएं।

अवकाश और अवकाश वेतन

अवकाश और अवकाश वेतन यह सुनिश्चित करने के लिए रखे जाते हैं कि हर साल कर्मचारी बिना वेतन खोए छुट्टियां ले सकें। एक साल नौकरी करने के बाद, आप कम से कम दो सप्ताह के वेतनयुक्त अवकाश के हकदार हो जाते हैं।

मातृत्व और मातृपित्रीय अवकाश

योग्य कर्मचारी कुछ अवधि के मातृत्व और/या मातृपित्रीय बिना वेतन अवकाश के हकदार होते हैं। बिना वेतन मातृत्व और/या मातृपित्रीय अवकाश का हकदार होने के लिए आपको अपने नियोजक के साथ निरन्तर 52 सप्ताह काम करना अनिवार्य होगा। अवकाश पूरा होने पर, आपको अपने मूल काम या बराबर के काम पर वापस रखना अनिवार्य है।

रोज़गार समापन और अस्थायी छंटनी

आपको अपने नियोजक के साथ व नियोजक को आपके साथ कार्य समाप्त कर देने का अधिकार है। परन्तु ये अधिकार दायित्वों के साथ जुड़े हैं। मुख्य दायित्व उचित नोटिस देना है। नोटिस का समय जो आपको देना आवश्यक है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस पद पर कितने लम्बे समय तक काम किया है और यह नोटिस लिखित रूप होना चाहिए।

रोज़गार के प्रथम तीन माह के दौरान न ही आपको और न ही आपके नियोजक को नोटिस देना ज़रूरी है। तीन माह से अधिक व दो साल से कम के रोज़गार के लिए, उचित नोटिस एक सप्ताह का नोटिस है। आपके नियोजक को आपकी पूरी आय रोज़गार समाप्ति के दस दिन के अन्दर दे देनी चाहिए। आपकी अन्तिम आय की नियत तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि नोटिस की आवश्यकता थी या नहीं।

आपका नियोजक बिना नोटिस दिए 59 दिन तक के लिए आपकी छंटनी कर सकता है। लेकिन, यदि आपका नियोजक आपको 60वें दिन वापिस नहीं बुलाता है तो उसे आपको समापन नोटिस या समापन वेतन देना होगा।

यदि आप वापस बुलाने का नोटिस प्राप्त करने के सात दिन के अन्दर काम पर नहीं लौटते, तो आपके नियोजक को आपको समापन नोटिस या समापन वेतन देना ज़रूरी नहीं होगा।

एलबर्टा रोज़गार मानक के विाय में अधिक जानकारी के लिए या शिकायत दर्ज कराने के लिए:

एडमॉन्टन व क्षेत्र: **780-427-3731**
कैनेडा में नि:शुल्क: **1-877-427-3731**
वेबसाइट पर जाएं: **www.employment.alberta.ca/es**

भुगतान न होने या रोज़गार की समाप्ति के छः माह के अन्दर शिकायत दर्ज करानी होगी। क़ानून के अनुसार मज़दूरी व ओवरटाइम वेतन की वसूली रोज़गार के पिछले छः माह तक के लिए, और अवकाश वेतन व सार्वजनिक छुट्टी के वेतन की वसूली रोज़गार के पिछले दो साल के लिए की जा सकती है।

कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट (ओ एच एस एक्ट) में पूरे एलबर्टा में कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की रक्षा व प्रोन्नति के लिए नियम ाामिल किए गए हैं। यह नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों के दायित्वों को रेखांकित करता है।

कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व

आपको एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल का अधिकार है। एक कामगार के तौर पर, ओ एच एस एक्ट में यह अपेक्षा है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से कार्य करें और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करते हुए अपने नियोजक के साथ सहयोग करें।

आपको कई विशिट स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, कोई विशेा कार्य करते समय आपको सुरक्षा हार्नेस या ऐसा ही कोई उपकरण लगाना आवश्यक हो सकता है। जब ज़रूरी हो, आपको कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि सुरक्षा बूट, सुरक्षा चश्मा, इयर प्लग और हार्ड हैट। नियमों का पालन करना आपका दायित्व है। यदि आप इन्हें नहीं समझ पाते, तो पूछें।

दस प्रश्न जो आपको अपने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में अपने नियोजक से पूछने चाहिए:

1. मेरे काम में क्या–क्या खतरे क्या हैं?
2. किन दूसरे खतरों या जोखिमों की जानकारी मुझे होनी चाहिए?
3. क्या मुझे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा?
4. क्या आपके यहां स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी बैठकें की जाती हैं?
5. क्या कोई ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं जिन्हें पहनने की अपेक्षा मुझसे की जाएगी और क्या उसके उपयोग के बारे में मुझे प्रशिक्षण दिया जाएगा?

यदि आप किसी काम को असुरक्षित मानते हों, तो किसी के लिए भी ज़बरदस्ती ऐसा काम आपसे करवाना क़ानून के ख़िलाफ होगा। यदि कोई सन्निकट खतरा हो, तो आपको ऐसा काम करने से एकदम मना कर देना चाहिए। सन्निकट खतरे का अर्थ किसी ऐसे खतरे से है, जो आपके काम के लिए सामान्य खतरा न हो।

6. क्या मुझे आपातकालीन स्थितियों में काम आने वाली प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा (उदाहरण के लिए, आग लगने और रसायन फैलने की स्थितियों के लिए)?
7. आग बुझाने के उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट और दूसरे आपातकालीन उपकरण कहां पर स्थित हैं?
8. यदि मुझे चोट लग जाए तो क्या करूं? प्राथमिक चिकित्सा के लिए कौन व्यक्ति ज़िम्मेदार है?
9. मेरी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेदारियां क्या–क्या हैं?
10. यदि मेरे मन में कोई स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रश्न हो तो किससे पूछूं?

यदि आप किसी काम को असुरक्षित मानते हों, तो किसी के लिए भी ज़बरदस्ती ऐसा काम आपसे करवाना क़ानून के ख़िलाफ होगा। यदि कोई सन्निकट खतरा हो, तो आपको ऐसा काम करने से एकदम मना कर देना चाहिए। सन्निकट खतरे का अर्थ किसी ऐसे खतरे से है, जो आपके काम के लिए सामान्य खतरा न हो।

किसी खतरनाक काम को करने से मना करने के कारण, आपका नियोजक न तो आपकी छंटनी कर सकता है और न ही आपको नौकरी से निकाल सकता है।

यदि अपने कार्यस्थल के बारे में आपके मन में कोई आशंका या चिंता हो, या आपको मदद चाहिए हो, तो **1-866-415-8690** पर कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा संपर्क केंद्र से संपर्क करें।

नियोजक के दायित्व

आपके नियोजक पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी का दायित्व है। उन्हें एक खतरा निर्धारण प्रक्रिया करनी अनिवार्य है जिसमें कार्यस्थल पर खतरों या जोखिमों की स्पट रूप से पहचान की जाए। पहचान कर दिए जाने के बाद, ऐसे खतरों को हटाना या नियंत्रित करना अनिवार्य है। इसके लिए उपकरणों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है या नियम और प्रक्रियाएं अपेक्षित हो सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका काम यथासंभव सुरक्षित है। यह जानकारी सभी कामगारों के साथ साझा की जानी चाहिए।

आपके नियोजक के लिए अनिवार्य है कि वह:

- सुनिश्चित करे कि आपके पास काम के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, योग्यताएं और अनुभव हों।
- काम के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी खतरों के बारे में आपको बताए।
- सुनिश्चित करे कि आपके पास अपना काम करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों सहित सभी औजार एवं उपकरण हों।
- सुनिश्चित करे कि आपको उपकरण का प्रयोग करना आता हो।
- आपको खतरनाक उत्पादों के साथ सुरक्षित ढंग से काम करने का प्रशिक्षण दिलाए।
- ऐसी सभी घटनाओं की छानबीन करे जिनसे ारीरिक नुकसान पहुंचा हो, और उन घटनाओं की भी जिनसे ऐसा हो सकता था।

आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप **www.employment.alberta.ca/whs** पर जाकर अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

रोज़गार एजेंसी का उपयोग

एलबर्टा में काम करने की योजना बना रहे, या वर्तमान में काम कर रहे एक अस्थायी विदेशी कामगार के तौर पर, हो सकता है आप नौकरी ढूंढ़ने के लिए किसी रोज़गार एजेंसी की सेवाएं उपयोग करने के बारे में सोच रहे हों। रोज़गार एजेंसियां कामगारों को भर्ती करने के बदले नियोजकों से पैसे लेती हैं। यह ुल्क नियोजक और रोज़गार एजेंसी द्वारा बातचीत करके तय किया जाता है। नियोजक को यह अनुमति नहीं है कि वह इस सेवा की कीमत कर्मचारी से वसूल करे। यदि कोई एजेंसी ऐसा संकेत देती है कि ऐसा हो सकता है, तो वह गलत है। **नौकरी पाने के बदले संभावित या भर्ती किए जा चुके कामगारों से ुल्क नहीं लिया जा सकता।**

अधिक जानकारी के लिए, सर्विस एलबर्टा से संपर्क करें: उपभोक्ता संपर्क केंद्र, सर्विस एलबर्टा

एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-427-4088**
एलबर्टा में निःशुल्क: **1-877-427-4088**

मकान मालिकों और किराएदारों के लिए जानकारी

एलबर्टा में, रहने की जगह किराए पर लेने वाले अधिकांश लोगों पर *रेजिडेंशयिल टेनेंसीज एक्ट* लागू होता है। इस क़ानून में वे अधिकार और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो मकान मालिकों और किराएदारों पर लागू हैं, और इनमें वे नियोजक भी शामिल हैं जो आवास उपलब्ध कराते हैं और वे कर्मचारी भी जो नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रहते हैं।

चाहे आप कोई सुईट किराए पर ले रहे हों, किसी के घर का कोई कमरा या साझे में रह रहे हों, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी स्थिति पर लागू नियमों को समझें। अलग–अलग किराए के स्थानों पर अलग–अलग नियम लागू हैं।

सभी किराए के करार लिखित में होने चाहिएं जिन पर मकान मालिक के हस्ताक्षर हों, और उनमें मकान मालिक और किराएदार के दायित्व ामिल किए होने चाहिएं, जैसे कि सुरक्षा जमा राशि, निरीक्षण, किराए का खर्च और समापन नोटिस।

अधिक जानकारी के लिए, सर्विस एलबर्टा से संपर्क करें: उपभोक्ता संपर्क केंद्र, सर्विस एलबर्टा

एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-427-4088**
एलबर्टा में नि:शुल्क: **1-877-427-4088**

उपभोक्ता और किराएदार मुद्दों पर मशवरों के लिए **www.servicealberta.ca** पर जाएं।

कामगारों को क्षतिपूर्ति

यदि आप काम पर घायल हो जाते हैं, तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन बोर्ड (डब्ल्यू सी बी) – एलबर्टा आपकी सहायता कर सकता है। एक अस्थायी विदेशी कामगार के तौर पर, आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि एलबर्टा के किसी भी अन्य कामगार के साथ। यदि आपका नियोजक *वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट* के दायरे में आता है, तो आपकी कवरेज एलबर्टा में काम करना आरंभ करने के साथ ही शुरू हो जाती है।

नियोजकों को यह पोस्टर वहां लगाना चाहिए जहां कर्मचारी इसे देख सकें। पोस्टर में आपको बताया जाता है कि काम पर घायल होने की सूचना कैसे दी जाए।

आपके नियोजक को आपकी कार्यों, कार्यदशाओं और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के लिए आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में आपको समझाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि डब्ल्यू सी बी कैसे काम करता है और यदि आप घायल हो जाते हैं, तो आप कैसे दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि आप घायल हो जाते हैं और हल्के काम कर सकते हैं (संशोधित कार्य) और आपके कार्य पर्मिट में उनकी अनुमति है, तो आपका नियोजक आपको करने के लिए हल्के काम दे सकता है। इससे आप ठीक होने के दौरान काम करते रह सकेंगे।

यदि संभव होता है, तो नियोजकों से कहा जाता है कि वे अपने आरंभिक कार्य पर्मिट आवेदन में एक संशोधित कार्य विकल्प को भी ाामिल करें।

यदि आप काम पर घायल हो जाते हैं, तो:

- तुरंत अपने नियोजक को बता दें।
- आपके नियोजक को इस बारे में तुरंत ही डब्ल्यू सी बी को सूचना देनी होगी, यदि:
    - आपको प्राथमिक चिकित्सा से भी बढ़कर और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो।
    - आप घटना के बाद अपना काम करने सकने की स्थिति में न हों।
- डॉक्टर को बताएं कि आप काम पर घायल हुए थे।
- डब्ल्यू सी बी को बताएं। एक रिपोर्ट ऑफ इंज्यरी फार्म भरें और उसे तुरंत डब्ल्यू सी बी को भेज दें। आप अपने नियोजक से, किसी डब्ल्यू सी बी कार्यालय से अथवा **www.wcb.ab.ca** से फार्म ले सकते हैं।

डब्ल्यू सी बी में संपर्क के लिए:
एलबर्टा में निःशुल्कः **1-866-WCB-WCB1 (1-866-922-9221)**
एलबर्टा से बाहरः **1-800-661-9608**
ई मेलः **contactcentre@wcb.ab.ca**
वेबसाइट पर जाएंः **www.wcb.ab.ca**

व्यक्तिगत जानकारी

निजता संबंधी अधिकार

एलबर्टा के *पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट (पी आई पी ए)* में, एलबर्टा में निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा रखी जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसके लिए इसमें नियम निर्धारित किए गए हैं कि संगठन कैसे व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र, उपयोग एवं प्रकट कर सकते हैं। अस्थायी विदेशी कामगारों और आप्रवासियों के लिए, पी आई पी ए एलबर्टा में कार्यरत नियोजकों और रोज़गार एजेंसियों पर लागू होता है। यदि ये संगठन व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षण प्रदान करने में असफल रहते हैं, अथवा पी आई पी ए में निर्धारित किए गए व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र, उपयोग एवं प्रकट करने संबंधी नियमों की अवहेलना करते हैं, तो लोग इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमिश्नर ऑफ एलबर्टा के कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

उदाहरण – संभावित निजता शिकायत

फिलीपींस की एक अस्थायी विदेशी कामगार एलीना ने एलबर्टा के एक परिवार में साथ रहकर घरेलू देखभालकर्ता के रूप में काम करना स्वीकार किया। जब वह अपने काम में जम गई, तो नियोजक ने एलिना से पासपोर्ट संभालने के लिए मांगा। एलीना ने नियोजक की मांग पर सवाल किए और उसे कहा गया कि यदि उसने देने से मना किया, तो उसे अपने देश फिलीपींस लौटना होगा। एलीना ने आर सी एम पी और इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमिश्नर ऑफ एलबर्टा के कार्यालय से यह जानने के लिए संपर्क किया कि क्या उसे शिकायत करनी चाहिए। उसे बताया गया कि उसका पासपोर्ट और कार्य पर्मिट उसकी व्यक्तिगत जानकारी में आते हैं और उसके नियोजक द्वारा उन्हें रखना ग़ैर–क़ानूक़ानूनी होता। उन्होंने एक शिकायत दायर करने में भी उसकी मदद की।

इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमिश्नर के कार्यालय (ओ आई पी सी) से संपर्क करने के लिए:

कैलगरी ऑफिस
2460, 801 – 6th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 3W2
403-297-2728

एडमॅन्टन ऑफिस
410, 9925 – 109th Street
Edmonton, AB T5K 2J8
780-422-6860

एलबर्टा में निःशुल्क: **1-888-878-4044**
वेबसाइट पर जाएं: **www.oipc.ab.ca**

अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए एलबर्टा की सहायता

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय और हैल्पलाइन

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय और अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने में तथा पक्षपातपूर्ण, असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर कार्य दशाओं वाली स्थितियों में समाधान ढूंढ़ने में आपकी मदद करेंगे।

सलाहकार कार्यालय कैलगरी और एडमॅन्टन में स्थित हैं। दोनों ही कार्यालय सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर आसान पहुंच के भीतर स्थित हैं। अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालयों में फोन करके या स्वयं जाकर संपर्क कर सकते हैं।

आपकी ज़रूरतों का निर्धारण कर दिए जाने के बाद, सलाह कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्न प्रकार हो सकती हैं:

- फार्मों का निर्धारण करने और उन्हें भरने में सहायता प्रदान करना।
- बहु–शिकायत सेवाओं के साथ बातचीत में सहायता करना।

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय और अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने में तथा पक्षपातपूर्ण, असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर कार्य दशाओं वाली स्थितियों में समाधान ढूंढ़ने में आपकी मदद करेंगे।

- पक्षपातपूर्ण, असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर कार्य दशाओं वाली स्थितियों में समाधान ढूंढ़ने हेतु संघीय और उद्योग साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- एलबर्टा में काम करने में अस्थायी विदेशी कामगारों की सहायता के लिए पूरे प्रांत में आप्रवासी–सेवा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना।

दुर्व्यवहार के आरोपों को गंभीरता से लिया जाता है और अस्थायी विदेशी कामगारों की सभी शिकायतें जांच हेतु भेजी जाती हैं।

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय में संपर्क करने के लिए (सोमवार – शुक्रवार):

नॉर्थ लोकेशन (एडमॅन्टन)
3rd Floor, City Centre
10242 - 105 Street
Edmonton, AB T5J 3L5
780-644-2584

साउथ लोकेशन (कैलगरी)
3rd Floor, JJ Bowlen Building,
620 - 7th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 0Y8
403-476-4540

एलबर्टा अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन से संपर्क करने के लिए:

एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-644-9955**
विश्वभर में: **1-877-944-9955**
ई मेल: **tfwadvisory.office@gov.ab.ca**

एलबर्टा आप्रवास जानकारी सेवा

एलबर्टा आप्रवास जानकारी और रिफरल सेवा के तहत, एलबर्टा में काम करने, स्थायी आप्रवास और अस्थायी आवास के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यह सेवा ई मेल अथवा फोन द्वारा सुलभ है और एलबर्टा के नियोजकों, अस्थायी विदेशी कामगारों तथा आम जनता द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।

एलबर्टा आप्रवास करें जानकारी सेवा में जानकार आर्थिक आप्रवासन विशेाज्ञ स्टाफ है जो पूछताछ का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहते हैं और निम्नलिखित सहित अनेक प्रकार के वियों पर जानकारी प्रदान करते हैं:

- एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम (ए आई एन पी):
    - ए आई एन पी के तहत नियोजक और कर्मचारी योग्यता।
    - ए आई एन पी में आवेदन के चरण और प्रक्रिया।
- श्रम बाजार राय (एल एम ओ)।
- कार्य पर्मिट।
- अंतर्राट्रीय योग्यता निर्धारण सेवा (आई क्यू ए एस)।

- विदेशी योग्यताओं की मान्यता और प्रमाण–पत्रों का निर्धारण।
- स्थायी और अस्थायी आप्रवासन के विकल्पों पर सामान्य जानकारी।

एलबर्टा आप्रवास करें जानकारी सेवा से संपर्क करने के लिए (सोमवार – शुक्रवार):

एलबर्टा में निःशुल्कः**1-877-427-6419**
एलबर्टा से बाहरः **780-427-6419**
ई मेल फार्मः **www.AlbertaCanada.com/info**
वेबसाइट पर जाएंः **www.AlbertaCanada.com/immigration**

आप्रवासी–सेवा एजेंसियां

एलबर्टा में बसने और यहां के जीवन में ढलने में मदद के लिए, आप किसी स्थानीय आप्रवासी–सेवा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। उपलब्ध सेवाओं में ाामिल हैंः

- दैनिक जीवन और समुदाय में अनुकूलन पर व्यावहारिक मार्गदर्शन, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं कैसे ढूंढ़ें तथा एलबर्टा में जीवन के बारे में सामान्य जानकारी।
- प्राथमिक दुभाषिया सेवाएं।

अलबर्टा में सात आप्रवासी–सेवा एजेंसियां हैं जो अस्थाई विदेशी कामगारों को व्यवस्थापन सेवाएं प्रदान करती हैं।

कैलगरी

कैलगरी कैथोलिक इमिग्रेशन सोसायटी
3rd Floor, 120 – 17 Avenue S.W. Calgary, AB T2S 2T2
403-262-2006 www.ccis-calgary.ab.ca

एडमॅन्टन

कैथोलिक सोशल सर्विसेज़
(एडमॅन्टन मैनानाइट सेन्टर फॉर न्यूकमर्स की भागीदारी के साथ)
10709 – 105 Street, Edmonton, AB T5H 2X3
780-424-3545 www.catholicsocialservices.ab.ca

ब्रुक्स

ब्रुक्स एंड काउन्टी इमिग्रेशन सर्विसेज़
(कैलगरी कैथोलिक इमिग्रेशन सोसायटी की एक परियोजना)
Bay 2 – 500 Cassils Road, Brooks, AB T1R 1B5
403-362-0404 www.ccis-calgary.ab.ca

बैंफ

कैलगरी कैथोलिक इमिग्रेशन सर्विसेज़
Banff Town Hall, 110 Bear Street, Banff, AB T1L 1A1
403-762-1254 www.ccis-calgary.ab.ca

फोर्ट मैकमरी

वाई.एम.सी.ए. – इमिग्रेन्ट सेटलमेन्ट सर्विसेज़
201,10011 Franklin Avenue, Hill Building, Fort McMurray, AB T9H 2K6
780-743-2970 www.ymca.woodbuffalo.org

लेथब्रिज

लेथब्रिज फेमिलि सर्विसेज
701-2 Avenue South, Lethbridge, AB T1H 0E6
403-320-1589 www.lethbridge-family-services.com

रेड डीयर

कैथोलिक सोशल सर्विसेज
202, 5000 Gaetz Avenue, Red Deer, AB T4N 6C2
403-346-8818 www.catholicsocialservices.ab.ca

वेलकम टु एलबर्टाः इन्फॉर्मेशन टु न्यूकमर्स
किसी नए देश में जाना रोमांच और तनाव दोनों अनुभवों से भरा हो सकता है। *वेलकम टु एलबर्टाः इन्फॉर्मेशन टु न्यूकमर्स* में एलबर्टा में आपके प्रथम चंद हफ्तों और महीनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जो आपको अपने समुदाय में बसने में मददगार होगी। इसमें ाामिल विाय हैं आवास, स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु, बैंकिंग, परिवहन और सामाजिक रीति–रिवाज। इस पुस्तिका में अहम संपर्क भी दिए गए हैं। इस प्रकाशन को **www.alis.alberta.ca/publications** से डाउनलोड करें अथवा ऑर्डर करें।

एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम

यदि आप ऐसे अस्थायी विदेशी कामगार हैं, जो स्थायी तौर पर एलबर्टा में बसने की सोच रहे हैं, तो आप कैनेडा में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एलबर्टा आप्रवासी नामजद कार्यक्रम (ए आई एन पी) में आवेदन करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

इस कार्यक्रम के तहत हर पेशा उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा हर व्यक्ति भी योग्य नहीं होगा जो एलबर्टा में एक अस्थायी विदेशी कामगार के तौर पर कार्य कर रहा हो। अपना आवेदन करने से पहले हर मानदंड की ध्यानपूर्वक जांच करें।

क्या आप एलबर्टा में स्थायी तौर पर बसने के लिए उपयुक्त हैं?

निम्नलिखित चरण दिखाते हैं कि ए आई एन पी कैसे काम करता है और आप किस प्रकार इस कार्यक्रम तक पहुच सकते हैं।

1. **www.AlbertaCanada.com/ainp** पर ए आई एन पी की वेबसाइट देखें।
2. यह देखने के लिए कि क्या आप योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, कार्यक्रम की विभिन्न ाखाओं और श्रेणियों को देखें।
   - **नियोजक–संचालित ाखाः** कुशल और चुनिंदा अर्द्ध–कुशल व्यवसायों के उम्मीदवारों के लिए, जिनके पास एलबर्टा के किसी नियोजक से स्थायी, पूर्णकालीन नौकरी का प्रस्ताव हो।
   - **महत्वपूर्ण भर्ती ाखाः** ऐसे चुनिंदा व्यवसाय वाले उम्मीदवारों के लिए, जिनकी एलबर्टा में भारी मांग है।
   - **पारिवारिक ाखाः** एलबर्टा में निकट रिश्तेदार वाले ऐसे उम्मीदवारों के लिए, जो एलबर्टा में बसने में उनकी मदद कर सकते हैं।
3. यदि आप ए आई एन पी के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप एक आवेदन पत्र भर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी अपेक्षित दस्तावेज साथ लगाएं अन्यथा आपका आवेदन आपको लौटा दिया जाएगा। यदि वह मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. अपना पूरा किया आवेदन ए आई एन पी को मेल करें :

   एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम
   Suite 940, Telus Plaza North Tower
   10025 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 1S6
5. यदि आवेदन ए आई एन पी के पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो आपको एक प्रोविंशियल नौमिनी (प्रांतीय नामज़द) के तौर पर स्वीकृत किया जा सकता है। यदि स्वीकृत किए गए, तो ए आई एन पी आपको एक नामज़दगी पैकेज भेजेगा जिसमें आगे उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई होगी, जिसमें स्थायी निवास के लिए एक आवेदन तैयार कर उसे सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा (सी आई सी) को प्रस्तुत करना भी ामिल है।
6. उसके बाद सी आई सी द्वारा स्वास्थ्य, अपराध और सुरक्षा संबंधी जांचें की जाएंगी। यदि ये जांचें पूरी हो जाती हैं, तो आपको अपना स्थायी निवास मिल जाएगा।

आपको अपना आवेदन पूरा करने के लिए किसी आप्रवासन परामर्शदाता अथवा वकील की सेवाएं लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपना आवेदन पूरा करने के लिए किसी प्रतिनिधि की सेवाएं लेने का फैसला करते हैं, तो उसे न तो कोई विशे महत्व दिया जाएगा और न ही उस पर अन्य आवेदनों से भिन्न तरीके से कार्यवाही की जाएगी।

एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **www.albertaCanada.com/ainp** पर जाएं।

■ संसाधन

एलबर्टा

एलबर्टा स्वास्थ्य बीमा योजना
www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html

एलबर्टा आप्रवासी नामज़द कार्यक्रम
www.AlbertaCanada.com/ainp

एलबर्टा अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन
एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-644-9955**
एलबर्टा से बाहर: **1-877-944-9955**
ई मेल: **tfwadvisory.office@gov.ab.ca**

रोज़गार मानक
एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-427-3731**
कैनेडा में नि:शुल्क: **1-877-427-3731**
www.employment.alberta.ca/es

एलबर्टा आप्रवास जानकारी सेवा
एलबर्टा में नि:शुल्क: **1-877-427-6419**
एलबर्टा से बाहर: **780-427-6419**
ई मेल फार्म: **www.AlbertaCanada.com/info**

ऑफिस ऑफ दि इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमिश्नर (ओ आई पी सी)
कैलगरी कार्यालय: **403-297-2728**
एडमॅन्टन कार्यालय: **780-422-6860**
एलबर्टा में नि:शुल्क: **1-888-878-4044**
www.oipc.ab.ca

सर्विस एलबर्टा उपभोक्ता संपर्क केंद्र

एडमॅन्टन और क्षेत्र: **780-427-4088**
एलबर्टा में निःशुल्क: **1-877-427-4088**
www.servicealberta.ca

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय नॉर्थ लोकेशन (एडमॅन्टन)

नॉर्थ लोकेशन (एडमॅन्टन)
3rd Floor, City Centre, 10242 - 105 Street Edmonton, AB T5J 3L5
780-644-2584
साउथ लोकेशन (कैलगरी)
3rd Floor, JJ Bowlen Building, 620 – 7th Avenue S.W. Calgary, AB T2P 0Y8
403-476-4540

डब्ल्यू सी बी एलबर्टा

एलबर्टा में निःशुल्क: **1-866-WCB-WCB1 (1-866-922-9221)**
एलबर्टा से बाहर: **1-800-661-9608**
ई मेल: **contactcentre@wcb.ab.ca**
www.wcb.ab.ca

कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

फोन करें: **1-866-415-8690**
www.employment.alberta.ca/whs

कैनेडा

सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा (सी आई सी)

फोन करें: **1-888-242-2100**
www.cic.gc.ca

सर्विस कैनेडा

www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/index.shtml

अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए प्रथम दिन की जांच–सूची

अपने कार्य पर्मिट की वैधता और सटीकता की जांच करें, जिसमें आपका नाम और जन्मतिथि, आपके नियोजक का नाम, नियोजन के स्थान, और जो काम आप करते हैं वह भी ाामिल हैं।

मेरा कार्यदिवस

- मेरे रोजाना के काम के घंटों की संख्या क्या है?
- मेरे नियमित कार्यदिवस कौन से हैं?
- क्या मुझे अपनी पाली आरंभ होने से पहले ही काम पर पहुंचना होगा?
- मुझे कितने समय का भोजनावकाश मिलेगा?
- क्या मुझे भोजनावकाश के पैसे मिलेंगे?
- क्या मुझे और भी कोई अवकाश मिलेगा, जैसे कॉफी ब्रेक?
- ओवरटाइम की गिनती ुरू होने से पहले मुझे कितने घंटे तक काम करना होगा?
- यदि हो, तो कितना ओवरटाइर्म करना होगा?
- क्या आप काम पर आने जाने के लिए परिवहन उपलब्ध कराएंगे?

वेतन और लाभ

- मुझे अपना वेतन कैसे मिलेगा?
- मुझे कितनी बार भुगतान किया जाएगा?
- मेरे ओवरटाइम भत्ते की दर क्या होगी?
- क्या मुझे स्वास्थ्य लाभ, पेंशन या यूनियन की सदस्यता मिलेंगे?
- इन लाभों की क्या लागत होगी?
- क्या कोई व्यक्ति मेरे वेतन चैक में से की जाने वाली कटौतियों की समीक्षा मेरे साथ करेगा?
- क्या मुझे काम पर आने जाने के लिए पैसे दिए जाएंगे?
- क्या मुझे बोनस मिलेगा? इसे कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा?
- यह राशि कितनी होगी?

छुट्टी लेना

- क्या मुझे छुट्टी के समय के लिए पैसे मिलेंगे या मेरा छुट्टियों का वेतन मेरे वेतन चैक में ाामिल होगा?
- मेरे छुट्टियों के समय/वेतन की गणना कैसे की जाएगी है?
- यदि मैं बीमार पड़ता हूं तो क्या होगा? तब मैं किससे संपर्क करूं?
- मेरी ज़िम्मेदारी क्या है?
- क्या मुझे बीमारी अवकाश का वेतन मिलेगा?
- क्या मुझे बिना वेतन छुट्टी तय करने की अनुमति दी जाएगी?

अपने कार्य पर्मिट की वैधता और सटीकता की जांच करें, जिसमें आपका नाम और जन्मतिथि, आपके नियोजक का नाम, नियोजन के स्थान, और जो काम आप करते हैं वह भी ाामिल हैं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रश्न

- मेरे काम के जोखिम और खतरे क्या हैं?
- अपने कार्यस्थल के किन दूसरे खतरों की जानकारी मुझे होनी चाहिए?
- क्या मुझे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा?
- क्या कोई ऐसी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी है जिसे मुझे देखना चाहिए?
- क्या कोई स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी बैठकें की जाती हैं?
- प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने के उपकरण कहां पर हैं?
- यदि आग लग जाए या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति हो तो मुझे क्या करना चाहिए?
- यदि मुझे काम पर चोट लग जाए तो किसके पास जाऊं?
- मेरी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेदारियां क्या–क्या हैं?
- मेरे नियोजक की स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेदारियां क्या–क्या हैं?
- यदि मेरे मन में कोई स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आशंका या चिंता हो तो किससे बात करूं?

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:

एलबर्टा अस्थायी विदेशी कामगार हैल्पलाइन:

एडमॅन्टन और क्षेत्र: : **780-644-9955**
विश्वभर में: **1-877-944-9955**
ई मेल: **tfwadvisory.office@gov.ab.ca**

अस्थायी विदेशी कामगार सलाह कार्यालय:

नॉर्थ लोकेशन (एडमॅन्टन)
3rd Floor, City Centre
10242 - 105 Street
Edmonton, AB T5J 3L5
780-644-2584

साउथ लोकेशन (कैलगरी)
3rd Floor, JJ Bowlen Building,
620 - 7th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 0Y8
403-476-4540

एलबर्टा आप्रवास करें जानकारी सेवा:

एलबर्टा में निःशुल्कः: **1-877-427-6419**
एलबर्टा से बाहर: **780-427-6419**
ई मेल फार्म: **www.AlbertaCanada.com/info**

एलबर्टा एम्पलॉयमेंट एंड इमिग्रेशन द्वारा तैयार किया गया।

गैर–व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इस सामग्री का उपयोग, पुनःप्रकाशन, भंडारण अथवा पारेाण किया जा सकता है। इस सामग्री के स्रोत का आभार व्यक्त करना अनिवार्य होगा। एलबर्टा सरकार की लिखित अनुमति के बिना, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इस सामग्री का उपयोग, पुनःप्रकाशन, भंडारण अथवा पारेाण नहीं किया जा सकता। जब तक एलबर्टा सरकार से लाइसेंस न लिया गया हो, यह सामग्री पुनःबिक्री के लिए नहीं है।

उन कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक जो अस्थाई विदेशी कामगार हैं

इस प्रकाशन में निम्नलिखित के बारे में जानकारी है:

अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम

एलबर्टा में कर्मचारियों को क्या मालूम होना चाहिए

अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए एलबर्टा में सहायता

|सइमतजं प्उउपहतंदज छवउपदमम त्वहतंउ

संसाधन

© 2010 Government of Alberta
Printed in Canada for free distribution
Published: October 2010

ISBN: 978-0-7785-9124-5

Government of Alberta

इस मार्गदर्शक के अपडेट, अन्य प्रकाशनों तथा
अतिरिक्त जानकारी के लिए विज़िट करें
www.employment.alberta.ca/immigration-tfw